ई–मेल

संख्या– 1611/आठ–3–23–10 विविध/2019

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊः दिनांकः 06 जुलाई, 2023**

विषयः–टी0डी0आर0 नीति–2022 के अन्तर्गत टी0डी0आर0 सेन्डिंग एवं रिसीविंग जोन के चिन्हांकन संबंधी।

महोदय,

कृपया डी0आर0सी0 को ब्लाक चेन तकनीक के माध्यम से डी–मैट एकाउन्ट में अनुरक्षित किये जाने संबंधी हस्तान्तरणीय विकास अधिकारों (टी0डी0आर0) की अनुज्ञा उपविधि, 2022 के प्राविधानों को लागू किये जाने संबंधी अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 23.11.2022 को पूर्वान्ह 11:00 बजे सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त संबंधी शासन के पत्र संख्या–3082/आठ–3–22–10 विविध/2019 दिनांक 06.12.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उल्लेखनीय है कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.08.2022 द्वारा निर्गत की गयी टी0डी0आर0 उपविधि–2022 के प्राविधानों का उपयोग करते हुए "सुविधा" का चिन्हांकन एवं उसका विकास किये जाने हेतु कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर कराने हेतु शासन के पत्र संख्या–2456/आठ–3–22–10 विविध/2019 दिनांक 23.09.2022 द्वारा निर्देश दिये गये हैं। उक्त बैठक दिनांक 23.11.2022 में टी0डी0आर0 सेन्डिंग और रिसीविंग जोन का चिन्हांकन कराते हुए महायोजना में चिन्हित कराने के भी निर्देश दिये गये हैं। प्रकरण में कृत कार्यवाही की सूचना अब तक प्रतीक्षित है।

3– यह भी उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 19.06.2023 द्वारा जारी किये गये स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेन्स टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट–2023–24–पार्ट–।।। (अर्बन प्लानिंग रिफार्म्स) के प्रस्तर–3.6.2 के अन्तर्गत प्रदेश/नगरों में टी0डी0आर0 उदभव करने वाले और प्राप्त करने वाले क्षेत्रों के चिन्हांकन संबंधी कार्यों को 01 अप्रैल, 2023 से 15 जनवरी, 2024 के मध्य पूर्ण कर लिये जाने पर प्रत्येक राज्य के लिए रू0 100 करोड़ (संचयी) का प्राविधान किया गया है।

4– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया हस्तान्तरणीय विकास अधिकारों (टी0डी0आर0) की अनुज्ञा उपविधि, 2022 के प्राविधानों के अन्तर्गत

टी0डी0आर0 उदभव करने वाले और प्राप्त करने वाले क्षेत्रों के चिन्हांकन संबंधी कार्यों को 15 दिवस की अवधि में पूर्ण कर सूचना निदेशक, आवास बन्धु को उपलब्ध कराते हुए शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव

संख्या–1611(1)/आठ–3–23–10 विविध/2019–तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) आयुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
(2) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(3) निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,
06.7.2023

(चन्द्र श्याम मिश्र)
अनु सचिव